न्यायालयः–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली, जिला–पाली (राज.)

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या :– **18/2014**
सी.आई.एस. नंबर :– **1371/2014**
सी.एन.आर. नंबर :– **RJPL110000182014**

अभियोगी

राजस्थान राज्य

बनाम

अभियुक्तगण

01. प्रकाश कुमार पुत्र चुन्नीलाल, आयु 52 वर्ष

02. श्रीमती शांतिदेवी पत्नी चुन्नीलाल, आयु 75 वर्ष

निवासी बाली, पुलिस थाना बाली, जिला–पाली (राज.)

उपस्थितः–

01. श्री **पंकज शर्मा,** अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

02. श्री **भरत जे. राठौड़,** अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120बी भारतीय दण्ड संहिता

पीठासीन अधिकारी – **जितेंद्र कुमार,** आर.जे.एस.

:: निर्णय :: **दिनांक – 25.07.2024**

01. हस्तगत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.12.2012 को परिवादी रितुराज ने इस न्यायालय में प्रकाश, श्रीमती शांतिदेवी एवं श्रीमती कन्यादेवी के विरूद्ध एक परिवाद प्रदर्श पी–4 पेश किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों के अनुसार परिवादी का स्वामित्वसुदा एक मकान बाली सादड़ी रोड़ पर गुंदावली बास के नुक्कड़ पर रंजन सराय बस स्टेण्ड बाली में 20 गुणा 50 फीट नाप का आया हुआ है। उक्त मकान स्व. रामकिशोर जी ने दिनांक 03.12.1974 को श्री धनराज मुणोयत से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद किया था। तत्पश्चात् उक्त मकान अभियुक्त प्रकाश व श्रीमती शांतिदेवी के क्रमशः पिता व पति स्व. चुन्नीलाल को किराये पर दिया था। काफी समय तक किरायेदार चुन्नीलाल ने मकान खाली

कर कब्जा सुपुर्द नहीं किया तो स्व. रामकिशोर ने चुन्नीलाल के विरूद्ध मकान खाली करवाने हेतु दावा सक्षम सिविल न्यायालय, बाली के समक्ष पेश किया जिसके वर्तमान सिविल वाद संख्या 162/98 है। रामकिशोर जी के देहांत हो जाने के बाद परिवादी के प्रार्थना पत्र पर उसे कायम मुकाम के रूप में वादी प्रतिस्थापित किये जाने का सिविल न्यायालय, बाली ने आदेश दिया। अभियुक्तगण को मकान खाली करवाने संबंधी दावे की जानकारी थी। अभियुक्तगण को यह भी जानकारी थी कि उक्त मकान परिसर के स्वामी रामकिशोर जी थे, इसके उपरांत भी अभियुक्त प्रकाश व श्रीमती शांतिदेवी ने जानबूझकर उक्त मकान को सर्वप्रथम चुन्नीलाल के पिता धनाजी द्वारा धनराज मुणोयत को बेचान कर दिये जाने तथा चुन्नीलाल द्वारा रामकिशोर जी से मकान किराये पर प्राप्त करने संबंधी तथ्यों को छुपाकर विक्रय विलेख निष्पादित किया। दस्तावेज निष्पादन से संबंधित तमाम व्यक्तियों को स्वामित्वाधिकार वास्तविक रूप से चुन्नीलाल के वारिसान में निहित नहीं होने का बखूबी जानकारी थी। लेकिन किमती स्थान पर स्थित महंगी सम्पत्ति सस्ते में लेने के लोभ में खरीददार कन्यादेवी ने भी मकान का आधा हिस्सा खरीदने का मन बना लिया। इस प्रकार अभियुक्तगण ने एक राय होकर षड्यंत्रपूर्वक परिवादी को जानबूझकर क्षति कारित करने के आशय से लोकसेवक के समक्ष मिथ्या घोषणा की व कपटपूर्वक वास्तविक तथ्यों को छुपाकर दस्तावेज निष्पादित किया। इत्यादि इत्यादि...।

02. उपरोक्त परिवाद को न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत अन्वेषण हेतु पुलिस थाना, बाली को प्रेषित किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना, बाली पर प्रकरण एफ.आई.आर संख्या 13/2013, अपराध अन्तर्गत धारा 465, 467, 468, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर प्रकरण में अन्वेषण प्रारंभ किया गया। बाद अन्वेषण थानाधिकारी, पुलिस थाना, बाली ने अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोप पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक कार्यवाही करने के संबंध में पर्याप्त आधार उपलब्ध होने से उनके विरूद्ध उपर्युक्त अपराध धाराओं में वर्णित अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. आरोप पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात् के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित करने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त आधार उपलब्ध होने से अभियुक्तगण को उपर्युक्त धाराओं के आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझ कर आरोपों से इन्कार कर विचारण चाहा।

04. दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गयाः—

क्र.सं.	साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम
01	पी डब्ल्यु—1	भोपाल सिंह पुत्र रतनसिंह
02	पी डब्ल्यु—2	श्रीमती कन्यादेवी पत्नी पुखराज
03	पी डब्ल्यु—3	पुखराज पुत्र धनाराम
04	पी डब्ल्यु—4	भंवरलाल पुत्र शेषाजी
05	पी डब्ल्यु—5	प्रकाश कुमार पुत्र मोहनलाल
06	पी डब्ल्यु—6	श्रीमती मैनादेवी पत्नी कैलाश कुमार
07	पी डब्ल्यु—7	रितुराज पुत्र रामकिशोर

05. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गयाः—

क्र.सं.	प्रदर्श क्रमांक	प्रदर्शित दस्तावेज का नाम
01	प्रदर्श पी—1	पुलिस बयान साक्षी श्रीमती कन्यादेवी
02	प्रदर्श पी—2	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त श्रीमती शांतिदेवी
03	प्रदर्श पी—3	रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि
04	प्रदर्श पी—4	घटना का परिवाद

06. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत अभियुक्तगण की धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत परीक्षा की गई तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करने से इंकार किया जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।

07. बचाव पक्ष की ओर से दौराने विचारण दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गयाः—

क्र.सं.	प्रदर्श क्रमांक	प्रदर्शित दस्तावेज का नाम

01	प्रदर्श डी–1	धन्नाजी के नाम का पट्टा
02	प्रदर्श डी–2	पुलिस बयान साक्षी प्रकाश कुमार
03	प्रदर्श डी–3	सिविल अपील डिक्री प्रकरण संख्या 10/2013 में पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति

08. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण प्रकाश व श्रीमती शांतिदेवी ने परिवादी के स्वामित्व एवं कब्जेसुदा मकान को अपना बताकर श्रीमती कन्यादेवी को बेचान कर दिया जबकि अभियुक्तगण प्रकाश व श्रीमती शांतिदेवी उक्त मकान में केवल किरायेदार की हैसियत से थे। अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा श्रीमती कन्यादेवी को मकान बेचे जाने की पुष्टि की है और प्रकाश व शांतिदेवी ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर परिवादी रितुराज के साथ धोखाधड़ी की है। अंत में अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर समुचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

09. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अभियोजन अधिकारी के कथनों का पूरी तरह से खण्डन करते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण को मिथ्या आधारों पर आलिप्त किया गया है। विवादित मकान पर कभी भी परिवादी रितुराज का कब्जा नहीं रहा और न ही उसके स्वामित्व का है। अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी साक्षीगण ने विवादित मकान पर अभियुक्तगण का कब्जा एवं स्वामित्व होने के कथन किये हैं। पी डब्ल्यु–5 प्रकाश ने भी अपनी हैयर सैलुन की दुकान का किराया भी अभियुक्तगण को दिया था जिससे साफ जाहिर होता है कि विवादित परिसर अभियुक्तगण का ही है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण ने अभियुक्तगण का विवादित परिसर पर कब्जा व स्वामित्व होने के पुख्ता कथन किये हैं और अभियुक्तगण ने अपने हिस्से का मकान कन्यादेवी को बेचा जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण के परिवादी की मौखिक साक्ष्य एवं प्रति–परीक्षा में गंभीर विरोधाभास है जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद प्रकट होती है। बहस के अंत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10. अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक परिवादी के स्वामित्वसुदा एक मकान बाली सादड़ी रोड़ पर रंजन सराय बस स्टेण्ड, बाली में आया हुआ है जिसका नाप

20 गुणा 50 फीट है जो स्व. रामकिशोर जी ने दिनांक 03.12.1974 को क्रय किया था एवं उक्त मकान को चुन्नीलाल को किराये पर दिया था। उक्त मकान चुन्नीलाल द्वारा खाली नहीं करने के संबंध में स्व. रामकिशोर जी ने चुन्नीलाल के विरूद्ध न्यायालय में वाद पेश किया था एवं अभियुक्तगण को मकान खाली करवाने के संबंध में दावे की जानकारी होते हुए भी उक्त मकान को अभियुक्तगण ने कन्यादेवी को बेचान कर दिया। अभियुक्तगण ने षड्यंत्रपूर्वक परिवादी को जानबूझकर क्षति कारित करने के आशय से लोक सेवक के समक्ष मिथ्या घोषणा की व कपटपूर्वक वास्तविक तथ्यों को छुपाकर दस्तावेज निष्पादित किया।

11. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में कुल 07 साक्षीगण को परीक्षित करवाया है जिनमें पी डब्ल्यु–1 भोपालसिंह, पी डब्ल्यु–2 श्रीमती कन्यादेवी, पी डब्ल्यु–3 पुखराज, पी डब्ल्यु–4 भंवरलाल एवं पी डब्ल्यु–5 प्रकाश कुमार घटना के संबंध में साक्षी है। पी डब्ल्यु–6 श्रीमती मैनादेवी फर्द गिरफ्तारी की मौतबीर साक्षी है तथा पी डब्ल्यु–7 रितुराज प्रकरण का परिवादी है।

12. प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण के लिये न्यायालय को निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु के संबंध में अपना निष्कर्ष देना है कि :–

"' क्या अभियुक्तगण प्रकाश कुमार व श्रीमती शांतिदेवी ने परिवादी के पिता स्व. रामकिशोर जी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये खरीदे हुए मकान को बेईमानीपूर्व आशय से प्रवंचना कारित करते हुए श्रीमती कन्यादेवी को दिनांक 04.05.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख विक्रय कर प्रतिफल राशि प्राप्त की एवं विक्रय विलेख दिनांकित 04.05.2012 को बेईमानीपूर्वक आशय से बिना किसी प्राधिकृत के मिथ्या रचकर कूट रचना कारित की एवं विक्रय पत्र की कूट रचना छल के प्रयोजन से की व इस आशय से की कि उसका उपयोग परिवादी को छल कारित करने हेतु किया जा सके एवं परिवादी को छल कारित करने व मिथ्या दस्तावेजात रचने हेतु आपस में मिलकर आपराधिक षड्यंत्र परिवादी के विरूद्ध कारित करने हेतु सहमत हुए ?"

यदि उपर्युक्त बिन्दु का उत्तर सकारात्मक हो तो उचित दण्ड क्या हो?

13. न्यायालय द्वारा विरचित किये गये विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष एवं विनिश्चय निम्न प्रकार है:– अभियोजन कहानी का उद्‌भव परिवादी रितुराज द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी–4 के आधार पर हुआ। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी परिवादी रितुराज है जो पी डब्ल्यु–7 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने परिवाद प्रदर्श पी–4 पेश किया था। परिवाद में मुख्यतः परिवादी ने यह अंकित किया कि उसके स्वामित्व का मकान प्रकाश के पिता एवं श्रीमती शांतिदेवी के पति चुन्नीलाल को किराये पर दिया हुआ था जिसे प्रकाश व शांतिदेवी ने अपना बताकर श्रीमती कन्यादेवी को बेच दिया। इसी प्रकार के समानान्तर कथन परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी किये हैं। लेकिन पी डब्ल्यु–7 की प्रति–परीक्षा पर नजर डाली जावे तो एक दूसरी तस्वीर सामने आती है जिसमें उसका कहना है कि प्रदर्श पी–3 जो प्रकाश व श्रीमती शांतिदेवी द्वारा श्रीमती कन्यादेवी को विवादित परिसर बेचे जाने का बेचाननामा है उसमें वर्णित भूमि पर उसका व उसके गुरू रामकिशोरजी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया कि उसने न्यायालय के आदेश से पहले चुन्नीलाल व उसके परिवार वालों को विवादित परिसर में रहते हुए देखा था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि विवादित परिसर का मालिक होने व प्रकाश एवं श्रीमती शांतिदेवी का उस परिसर में किरायेदार होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। इस प्रकार पी डब्ल्यु–7 रितुराज की प्रति–परीक्षा से दर्शित होता है कि परिवाद में उसने जिस परिसर का अभियुक्तगण को किरायेदार होना बताते हुए आगे बेचान करने का कथन किया है, वह कभी भी उसके कब्जे का नहीं रहा और न ही उस परिसर के परिवादी के स्वामित्व का होने बाबत् उसके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध है और न ही अभियुक्त प्रकाश व श्रीमती शांतिदेवी उसके किरायेदार रहे हों, ऐसा कोई दस्तावेज है। हस्तगत प्रकरण सिविल प्रकरण नहीं है लेकिन परिवादी ने विवादित परिसर को अपने कब्जे व स्वामित्व का होना बताते हुए अभियुक्तगण को किराये पर देने और अभियुक्तगण द्वारा उक्त परिसर को स्वयं का बताकर आगे बेचान करने के कथन किये हैं, ऐसी स्थिति में परिवादी को न्यायालय के समक्ष यह पुख्ता तौर पर स्थापित करना होगा कि विवादित परिसर उसके स्वामित्व का है। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली में परिवादी रितुराज के नाम से विवादित परिसर का स्वामित्व रहा हो, ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है और न ही परिवादी ने ऐसा कोई

दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किया जिससे उसका विवादित परिसर पर स्वामित्व दर्शित होता हो। इसके अतिरिक्त परिवादी के गुरू रामकिशोर रामस्नेही के नाम का भी कोई स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या तौर पर परिवादी रितुराज विवादित परिसर का स्वामी होना प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने अभियुक्तगण द्वारा बेचे गये हिस्से पर भी अपना कब्जा नहीं होना बताया है जिससे यह स्थिति न्यायालय के समक्ष बनती है कि परिवादी पी डब्ल्यु–7 रितुराज विवादित परिसर का स्वामित्व नहीं रखता है और अभियुक्तगण प्रकाश व शांतिदेवी उसके किरायेदार रहे हों ऐसा भी दर्शित नहीं होता है।

14. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित परिसर के संबंध में सिविल न्यायालय, बाली में एक सिविल वाद संख्या 162/1998 संस्थित हुआ था जो सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया किंतु उक्त वाद में हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2013 के विरूद्ध अपील संख्या 10/2013 माननीय अपर जिला न्यायालय, बाली में की गयी जिसका निर्णय दिनांक 22.09.2022 को किया जाकर सिविल न्यायालय, बाली के आदेश दिनांक 16.08.2013 को अपास्त कर दिया गया जिसकी पुष्टि प्रदर्श डी–3 से होती है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष यह भी स्थिति नहीं है कि विवादित परिसर पर सिविल न्यायालय ने परिवादी का कब्जा या स्वामित्व माना हो। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर प्रदर्श पी–3 के रूप में अभियुक्तगण श्रीमती शांतिदेवी व प्रकाश द्वारा श्रीमती कन्यादेवी के पक्ष में निष्पादित किये गये विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि मौजूद है। इस विक्रय विलेख में वर्णित भूखण्ड के संबंध में पी डब्ल्यु–7 का यह कहना है कि इससे संबंधित भूमि पर उसका कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही कभी रामकिशोर जी का कब्जा रहा जो यह साफ दर्शाता है कि जिस परिसर को लेकर परिवादी ने यह मुकदमा किया है, वह न ही तो परिवादी और न ही उसके गुरू रामकिशोर जी के कब्जे का रहा है जिस कारण परिवादी के कथन अभियोजन को इस संदर्भ में कोई मदद नहीं पहुंचाते हैं कि अभियुक्तगण श्रीमती शांतिदेवी व प्रकाश ने परिवादी के कब्जे व स्वामित्व के भूखण्ड को अपना बताकर श्रीमती कन्यादेवी को बेच दिया हो। इस प्रकार पी डब्ल्यु–7 रितुराज के कथन अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से जोड़ने में विफल रहते हैं।

15. अभियोजन कहानी के परिप्रेक्ष्य में पी डब्ल्यु–1 भोपाल सिंह की साक्ष्य का

अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उसने मुख्य परीक्षा में प्रकाश कुमार के दादा के नाम का प्लॉट जिसमें मकान बना हुआ था उसे कन्या पत्नी पुखराज को जरिये रजिस्ट्री बेचान करने का कथन किया है और स्वयं द्वारा रजिस्ट्री में गवाही देना बताया है। उक्त साक्षी ने विवादित मकान पर प्रकाश व उसकी मां का कब्जा उसकी समझ से देखना बताया है। साक्षी ने प्रति–परीक्षा में यह भी कथन किया कि चुन्नीलाल के पिताजी का नाम धन्नाजी है एवं विवादित मकान का पट्टा धनाजी के नाम का है एवं प्रकाश व शांति इनके वारिसान है और इन दोनों ने मकान का असल पट्टा उसे लाकर बताया था। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी ने विवादित मकान का पट्टा अभियुक्त प्रकाश के दादाजी के नाम से होने एवं प्रकाश व उसकी मां का विवादित मकान पर उसकी समझ से कब्जा होना बताया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को विचारणीय बिन्दु के संबंध में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है एवं अभियोजन कहानी पर गंभीर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

16. पी डब्ल्यु–2 श्रीमती कन्यादेवी है जिसने विवादित मकान को प्रकाश व शांति से खरीदा था। उक्त साक्षी ने उसकी मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा प्रकाश व शांति से मकान खरीदने व एवं उसे कब्जा देने और आज भी उसका कब्जा होने एवं मकान की रजिस्ट्री करवाने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी पक्षद्रोही रही है। इस न्यायालय के मत में उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को विचारणीय बिन्दु के संबंध में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

17. पी डब्ल्यु–3 पुखराज ने उसकी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि घटना 2012 की है। प्रकाश का मकान जो गुंदावाली वास में आया हुआ था जो 4,75,000 रूपये में खरीदा था। प्रकाश कुमार आजीवन वहीं रहता था एवं प्रकाश व उसकी मां शांतिबाई ने उसे बाली रजिस्ट्रार ऑफीस में उसकी पत्नी कन्या के नाम रजिस्ट्री करवायी थी एवं उसी दिन उसे कब्जा सुपुर्द कर दिया और वह उसी मकान में रह रहा है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने भी उसकी मुख्य परीक्षा में विवादित मकान प्रकाश का होना बताया है एवं बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति–परीक्षा में विवादित मकान में उसके द्वारा प्रकाश व उसके परिवार को रहते हुए देखना व विवादित मकान का पट्टा धन्नाजी के नाम बना होने एवं धनाजी व उसके पुत्र चुन्नीलाल की मृत्यु हो जाने एवं चुन्नीलाल के वारिसान अभियुक्तगण होने के

सुझावों को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से भी यह स्पष्ट होता है कि विवादित मकान पर अभियुक्तगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों का कब्जा रहा है। उक्त साक्षी ने अभियोजन को समर्थित करने वाला कोई कथन नहीं किया है जिस कारण इस न्यायालय के मत में उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को विचारणीय बिन्दु के संबंध में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

18. पी डब्ल्यु–4 भंवरलाल ने उसकी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि आज से करीब 3–4 वर्ष पूर्व की घटना है। उसकी समझ आयी तब से वह प्रकाश पुत्र चुन्नीलाल को गुंदावली वास के नाके में आयी हुई जमीन पर देखा है। उस जमीन को प्रकाश ने कन्यादेवी को बेचान किया है, तब वह गवाह बना था तथा प्रकाश पुत्र मोहनजी भी गवाह था। उक्त मकान प्रकाश के दादाजी धनाजी के नाम का था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने भी उसकी मुख्य परीक्षा में विवादित मकान पर अभियुक्तगण एवं उसके पूर्वाधिकारियों का कब्जा होने एवं विवादित मकान प्रकाश के दादाजी के नाम होने के कथन किये हैं और बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति–परीक्षा में भी कथन किया कि उसने इस जमीन पर पुश्तैनी कब्जा प्रकाश, उसके दादा धनाजी व पिता चुन्नीलाल का देखा है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को विचारणीय बिन्दु के संबंध में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है बल्कि अभियोजन कहानी पर गंभीर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी डब्ल्यु–5 प्रकाश कुमार ने उसकी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसने चुन्नीलाल जी की दुकान जो दुंदावली बास के नाके, बाली में आयी हुई है, को दीपाली हैयर सैलून के लिये किराये पर ली थी जो उसने 8–10 साल के लिये किराये पर रखी। वह प्रतिमाह एक हजार रूपये किराया देता था। उसके बाद कन्या का उस दुकान पर कब्जा था, तब उसने किराये पर उक्त दुकान चलायी थी। इस प्रकार उक्त साक्षी ने भी उसकी साक्ष्य में विवादित परिसर में बनी दुकान को स्वयं द्वारा किराये पर लेने के पश्चात् उसका किराया चुन्नीलाल एवं तत्पश्चात् कन्यादेवी को अदा करने के कथन किये हैं और बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति–परीक्षा में भी साक्षी ने कथन किया कि उसकी समझ से उसने इस मकान पर कब्जा प्रकाश, चुन्नीलाल व धन्नाजी का ही देखा है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के मत में उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को विचारणीय बिन्दु के संबंध में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है बल्कि अभियोजन कहानी पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

20. पी डब्ल्यु–6 श्रीमती मैनादेवी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–2 अभियुक्त शांतिदेवी की मौतबीर साक्षी है जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त शांतिदेवी को उसके सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी–2 गिरफ्तार करने एवं उस पर उसके हस्ताक्षर होने के कथन किये हैं, किंतु उक्त साक्षी की साक्ष्य मात्र औपचारिक प्रकृति की है।

21. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण के परिवादी पी डब्ल्यु–7 रितुराज द्वारा प्रति–परीक्षा में किये गये कथनों से उसका विवादित मकान पर किसी प्रकार का कब्जा एवं स्वामित्व प्रकट नहीं हुआ है और न ही इस न्यायालय के समक्ष परिवादी का विवादित परिसर पर कब्जा व स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज पेश हुए हैं और न ही अभियुक्तगण को विवादित परिसर किराये पर देने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश हुए हैं जिस कारण इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि अभियुक्तगण ने विवादित परिसर जो परिवादी के स्वामित्व का था, जिसे अपना बताकर श्रीमती कन्यादेवी को बेचान कर दिया हो। साथ ही अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी डब्ल्यु–1 लगायत पी डब्ल्यु–5 ने एक स्वर में विवादित परिसर पर अभियुक्तगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों का कब्जा होने एवं विवादित परिसर का पट्टा अभियुक्त प्रकाश के दादा धनाजी के नाम होना बताया है जिससे इस तथ्य पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो जाता है कि विवादित परिसर परिवादी या उसके गुरू रामकिशोर जी के कब्जे एवं स्वामित्व का रहा हो। अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश की गयी है वह अत्यंत ही कमजोर प्रकृति की साक्ष्य है और अभियोजन कहानी पर गंभीर संदेह की स्थिति उत्पन्न करती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण प्रकाश कुमार व श्रीमती शांतिदेवी ने परिवादी के पिता स्व. रामकिशोर जी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये खरीदे हुए मकान को बेईमानीपूर्व आशय से प्रवंचना कारित करते हुए श्रीमती कन्यादेवी को दिनांक 04.05.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख विक्रय कर प्रतिफल राशि प्राप्त की एवं विक्रय विलेख दिनांकित 04.05.2012 को बेईमानीपूर्वक आशय से बिना किसी प्राधिकृत के मिथ्या रचकर कूट रचना कारित की एवं विक्रय पत्र की कूट रचना छल के प्रयोजन से की व इस आशय से की कि उसका उपयोग परिवादी

को छल कारित करने हेतु किया जा सके एवं परिवादी को छल कारित करने व मिथ्या दस्तावेजात रचने हेतु आपस में मिलकर आपराधिक षड्यंत्र परिवादी के विरूद्ध कारित करने हेतु सहमत हुए हो। फलस्वरूप अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—:आदेश::—

22. अतः अभियुक्तगण **प्रकाश कुमार पुत्र चुन्नीलाल, आयु 52 वर्ष तथा श्रीमती शांतिदेवी पत्नी चुन्नीलाल, आयु 75 वर्ष,** निवासी बाली, पुलिस थाना बाली, जिला—पाली (राज.) को पुलिस थाना, बाली में दर्ज एफ.आई.आर. नंबर 13 / 2013, आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437—ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिये 10—10 हजार रूपये के प्रतिभू सहित बंधपत्र पेश कर तस्दीक करावें।

(जितेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाली, जिला—पाली (राज.)

23. निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाली, जिला—पाली (राज.)